खबर मरम्मत

जुम्मन मियां पंक्चर वाले

मोदी की अफवाहों के नेटवर्क को हराने की अपील!

प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को गणतंत्र दिवस की परेड के लिए आए एनसीसी, एनएसएस कैडेट्स व युवा कलाकारों को सम्बोधित करते हुए कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों ने कॉरोना का टीका विकसित कर अपना कर्तव्य पूरा किया और अब हमने सही सूचना के जरिए झूठ और अफवाह फ़ैलाने वाले हर नेटवर्क को हराना है। उन्होंने युवाओं से अनुरोध किया कि आपको टीकों के बारे सही सूचना मुहैया करानी होगी।

अब इन युवाओं के सामने समस्या ये है कि कारोना टीकों के बारे में सही और पूरी सूचना तो उपलब्ध हो नहीं पा रहीं क्यूंकि इस बारे मै सरकारी नियंत्रक और टीका कंपनियां दोनो ही सूचनाएं छुपाए बैठे हैं और जो भी सूचना उपलब्ध है वो अगर जनता को बता दी तो एक भी आदमी टीका नहीं लगवाएगा। वैसे आरएसएस के पास एक नेटवर्क है, प्रधानमंत्री उस नेटवर्क,आईटी सेल, की मदद क्यूं नहीं लेते। या उन्हे पता है कि वो नेटवर्क तो झूठ और अफवाहें फ़ैलाने के लिए ही है। दरअसल आज देश में मोदी की विश्वसनीयता का संकट है। उन्होंने इतने झूठ बोले हैं कि कोई भी उनकी बात पर चाह कर भी विश्वास नहीं कर सकता।

संयुक्त राष्ट्र संघ का भीमा कोरेगांव मामले में अनुरोध

विश्व की सर्वोच्च संस्था, संयुक्त राष्ट्रसंघ के मानवाधिकार प्रमुख ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को रिहा किया जाए या कम से कम उन्हे जमानत पर तो छोड़ ही दिया जाए। बता दें कि भीमा कोरेगांव में सन् 1818 मै बाजीराव पेशवा द्वितीय व ब्रिटिश फौजों के बीच लड़ाई हुई थी जिसमें पेशवा को ब्रिटिश फौज ने हरा दिया था। ब्रिटिश फौज मै दलित जाति महार के सैनिक थे। इसलिए दलित इसे अपनी जीत के रूप में मनाते हैं और इससे सवर्ण मराठाओं को चिढ़ होती है। इस जीत की 200वी सालगिरह मनाने के लिए दलित संगठन, यलगार परिषद् ने 1 जनवरी 2018 को एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे। दलितों पर हुए इस हमले में दलित नेताओं और उनके समर्थकों को ही आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में 83 साल के वृद्ध कवि वरवरा राव, वकील सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, फादर स्टैन स्वामी व अन्य लोग जेल में बंद हैं। इनमें से अधिकतर घटना के समय वहां मौजूद भी नहीं थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार हाई कमिश्नर के कार्यालय ने पिछले साल किया गया अपना उपरोक्त अनुरोध पुन: दोहराया है। उन्होंने कहा कि भारत का मानवाधिकारों का रिकॉर्ड लगातार खराब होता जा रहा है।

महाराष्ट्र में नई शिव सेना नीत गठबंधन सरकार आते ही केंद्र ने इस मामले को एन आई ए को सौंप दिया था क्यूंकि उसे डर था कि राज्य सरकार इस केस को वापिस ले कर उन लोगों को रिहा कर देगी जिन्हें वह सबक सिखाना चाहती है। जितनी जल्दबाजी में, राज्य सरकार बदलते ही, केंद्र सरकार ने ये मामला एन आई ऐ को सौंपा उससे यह संदेह दृढ़ होता है कि मोदी सरकार की मंशा सिर्फ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को सबक सिखाने की है और सभी केंद्रीय जांच एजेंसियां उनकी कठपुतलियां बन कर रह गई है।

पोक्सो में मामला दर्ज करवाना है तो जिस्म से जिस्म मिलाओ!

महाराष्ट्र हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने अपने एक फैसले में कहा है कि बाल यौन अपराध रोकथाम एक्ट (पोक्सो) के अन्तर्गत कोई अपराध तभी आएगा जब बच्चे को अपराधी से स्किन टू स्किन यानी शरीर से शरीर का(बिना कपड़ों के) संपर्क हुआ हो। इस मुकदमे में अभियुक्त ने कपड़े पहने हुई एक बच्ची की छातियां दबाई थी और उसकी सलवार उतारने की कोशिश की थी। कोर्ट ने उसे पोक्सो एक्ट के तहत अपराध मानने से इंकार करते हुए इसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के तहत एक सामान्य छेड़छाड़(मोलेस्टेशन) का अपराध माना और अभियुक्त को दो साल की सजा सुनाई।

तो अब ध्यान रखिए कि अपने बच्चों को समझा कर रखे की जैसे ही कोई उनकी तरफ बुरी दृष्टि डालें तो तुरंत अपने कपड़े उतार दे ताकि अपराधी से शारीरिक सम्पर्क हो सके और मुकदमा पोक्सो एक्ट में दर्ज हो सके। शुक्र है कि अटॉर्नी जरनल के ध्यानाकर्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया और हाई कोर्ट के फैसले पर तुरंत रोक लगा दी। लेकिन इसके बावजूद अपने अगले फैसले में इसी कोर्ट ने, ऐसे ही एक मामले में जिसमे अभियुक्त ने बच्ची की बांह पकड़ी और पैंट की जिप खोली थी, पोक्सो की बजाय धारा 354 में ही सजा सुनाई है। कमी पोक्सो एक्ट में है या जज के दिमाग में! बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अब रोक लगा दी है।

अन्तिम मिसरा

गणतंत्र दिवस की परेड में मंदिर की झांकी गौरव, और लाल किले पर निशान साहिब लगाना राष्ट्रीय अपमान, ये नया सेक्युलर इंडिया है।

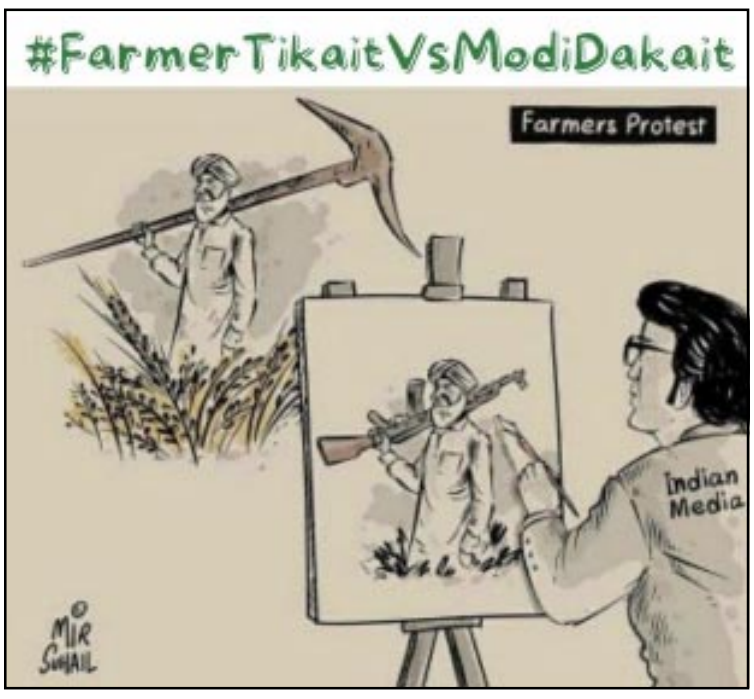

एक-एक आंसू का बदला लेंगे!

रै म्हारा बूढा रुवा दिया तो के रही म्हारी जवानी!

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

भारतीय किसान यूनियन नाम के एक अकाउंट से लिखा गया है। शायद यूनियन का ही अकाउंट है। इसे नरेश टिकैत ने रीट्वीट किया है।

नरेश टिकैत ने अपने ट्विटर पर लिखा, "हरियाणा के गाँव-गाँव से किसान भाई ग़ाज़ीपुर बॉर्डर की तरफ चल पड़े हैं। अब तो तीनों काले कानूनों का निपटारा करके ही घर लौटेंगे। बाबा टिकैत का एक-एक सिपाही दिल्ली कूच करे!" एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा, "चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे और मेरे छोटे भाई राकेश टिकैत के ये आँसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। कल सुबह महापंचायत होगी और अब हम इस आंदोलन को निर्णायक स्थिति तक पहुंचा कर ही दम लेंगे।" नतीजा ये कि यूपी और हरियाणा के गांव उमड़ पड़े हैं।

किसी की अस्मिता पर चोट नहीं करना चाहिए। आम जनता जो तिनका-तिनका इसे गढ़ती है, चले हैं उसे भारत का गद्दार बताने। हर किसी को देशद्रोही बताने की अति ही इनको ले डूबेगी।

कोई गलत-सही हो सकता है पर हर

किसी को देशद्रोही बता दो, ये क्या नाटक है? किसान नेताओं पर ऐसे केस कर दिया जैसे वे घुसपैठिये या आतंकवादी हों!

अगर सारे देश की आम जनता देशद्रोही और गद्दार है तो यही सही। तुम्हारी फर्जी राष्ट्रभक्ति तुम्हें मुबारक।

भारत की जनता साथ मिलकर रहेगी। जनता नहीं चाहती तो तीनों कानून वापस हों। देश तुम्हारे अडानी का हेलीकॉप्टर नहीं है कि जब चाहो लेकर उड़ लो। देश जनता का है, जनता इसकी मालिक है। देश के फैसलों में जनता की सहमति-असहमति का ध्यान रखना पड़ेगा। और हां, मैकाले के मुखबिरों से किसी को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए।

राकेश टिकैत के आँसू और ट्यूनीशिया की चिंगारी

साइबर वर्ल्ड

कल रात राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद उपजी किसानों की प्रतिक्रिया ने अरब स्प्रिंग मूवमेंट की याद दिला दी जो आज से ठीक 10 साल पहले शुरू हुआ था जिसने अरब देशों में सत्ता में आए तानाशाहों की चूले हिला दी, ट्यूनिशिया से उठी एक छोटी सी चिंगारी ने देखते देखते कई देशों में विद्रोह की आग फैला दी।

कल जैसे राकेश टिकैत फफक कर रो पड़े और माहौल पूरी तरह से बदल गया वैसे ही अरब स्प्रिंग की शुरुआत भी महज एक थप्पड़ से ही हुई थी, मोहम्मद बोआजिजी जो ट्यूनीशिया के एक छोटे से शहर सीदी बूअजीद में रेहड़ी वाला था और फल का ठेला लगाकर अपने परिवार का पेट पालता था, उसका ठेला एक म्युनिसिपल इंस्पेक्टर ने जब्त कर लिया सेकड़ो लोगों के बीच पुलिस कर्मी ने बोआजिजी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया बताते हैं कि न सिर्फ उसका ठेला जब्त किया गया बल्कि पुलिसकर्मी ने उसकी डंडे से पिटाई कर दी।

बीच बाजार अपना यह हाल होता देख मोहम्मद बोआजिजी शर्म से गड़ गया उसने स्थानीय नगरपालिका ऑफिस जाकर शिकायत इन सब की शिकायत की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी. उसने धमकी भी दी कि अगर उसकी नहीं सुनी गई, तो वह खुद को आग लगा लेगा. मोहम्मद बूअजीजी ने सब ओर से तंग आकर सोशल मीडिया पर लिखा 'मेहनत करके पेट पालना भी ट्यूनीशिया में कहां हो पाता है? सरकारी अमला कदम-कदम पर आपसे घूस मांगता है। न देने पर मारता-पीटता है, रोजी का जरिया छीन लेता है सो अलग। ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा!'थोड़ी देर बाद वह गवर्नर ऑफिस लौटा और बीच सड़क खुद को आग लगा ली।

उसकी शरीर के खाक होते की तस्वीरें वायरल हो गयी और अगले ही दिन सारा ट्यूनीशिया सड़क पर आ गया उस वक़्त वहाँ जैनुल आबिदीन बेन अली की हुकूमत 24 साल से चल रही थी। उसने इस घटना को हल्के में लिया।

लेकिन जनता इस कदर विद्रोह पर उतरी कि सिर्फ 27 दिन में जैनुल आबिदीन बेन अली को ट्यूनीशिया की गद्दी छोड़ना पड़ी और रातो रात सऊदी अरब भागना पड़ा।

इसके बाद तो पूरे अरब में लीबिया, सूडान, सीरिया, लेबनान,अल्जीरिया, मोरक्को, जॉर्डन, फलस्तीन, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान और यमन तक में इस आंदोलन का प्रभाव देखा गया ओर इस आंदोलन को अरब स्प्रिंग नाम दिया गया।

इस घटना को पूरे 10 साल बीत गए हैं कल राकेश टिकैत के साथ जो गाजीपुर बॉर्डर पर हुआ है वह घटना ओर बड़ी हो जाती यदि रातोरात पुलिस आंदोलन स्थल पर लाठीचार्ज कर देती .....अच्छी बात है वक्त पर प्रशासन लोगो का मूड भांप गया नही तो। बड़ी अनहोनी हो जाती।

कहते हैं कि दुनिया के किसी एक हिस्से में अगर कोई तितली हफ्तों पहले पंख फड़फड़ाती है तो किसी दूसरे हिस्से में तूफान आ सकता है. इसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं यहाँ तो सब सामने ही हो रहा है।

फरीदाबाद के डीसी यशपाल यादव का ट्वीट.....

पेज एक का शेष

समर्थित मीडिया ने ऐसा कोई वीडियो जारी नहीं किया है, जिसमें किसान डंडा लेकर पुलिस के पीछे भाग रहे हों।

हां, दीप सिद्धू गुट के अराजक तत्व जरूर ट्रैक्टर दौड़ाकर पुलिस को परेशान करते दिखे। इसकी निन्दा हर किसी ने की।

क्या कहा जनता ने

डीसी फरीदाबाद के ट्वीट को बहुत सारे लोगों ने नापंसद किया तो कुछ ने अपने ही ढंग से इसकी चुटकी भी ली। हालांकि इसे पसंद करने वाले और हां में हां मिलाने वाले भी कम नहीं थे।

पंकज मलिक ने लिखा - आपसे पूरे सम्मान के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि राजस्थान में कोर्ट पर कौन से झंडे को अनुमति दी गई थी।...

दीपक गुप्ता ने बहुत साफ शब्दों में अंग्रेजी में लिखा - यह सब सरकार प्रायोजित था।

जितेन्द्र सिंह भाटिया ने लिखा - यही बात जब बाबरी मस्जिद पर संघी झंडा फहराया गया था, बोल देते। क्यों चुप रहे थे तब।

डॉ मनोज शर्मा ने डीसी को सरकारी कर्तव्य निभाने की सीख देते हुए लिखा कि आपके जिले में एक अंग्रेजी अध्यापक लिफाफे बनाकर जीविका कमा रहा है। आपने उसकी शिकायत सुनने की बजाय दुत्कार कर भगा दिया। देशप्रेम सरकारी कर्तव्य निभाने को भी कहते हैं। सोशल मीडिया पर वाहवाही से काम नहीं चलता।

संदीप सिंह ने डीसी को जवाब में लिखा - 60 दिन की शांति में आंखें नहीं खुलीं आपकी। मुट्ठी भर किसान शांति रखे बैठे और सरकार जुमले पढ़ती रही। और अगर बिल सही थे तो क्यों सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया।

अरुण यादव किसान ने लिखा - लाल किले पर जो हुआ वो शर्मनाक है।....लेकिन प्रदर्शनकारियों को खालिस्तानी कहना, यह कहना कि खालिस्तान के झंडे फहराए गए, वो बात पूरी तरह गलत है...किसी को पाकिस्तानी, किसी को खालिस्तानी कहना बंद करो।...

डॉ. संजीव नारायण ने सवाल किया - तो....आप कुछ कर सकते हैं।

डीसी अपनी छवि बचाएं

जिला उपायुक्त यशपाल यादव जो अपने नाम के साथ मुरार भी जोड़ते हैं, उनकी अभी तक की छवि साफ सुथरी रही है। वह बीजेपी के अलावा कांग्रेस नेताओं के साथ क्रिकेट के मैदान पर टॉस (सिक्का) उछाल लेते हैं। उनकी यही छवि अच्छी लगती है। लेकिन 26 जनवरी की शाम को किया गया उनका ट्वीट सही संदर्भ में नहीं था। बतौर नागरिक उनकी बात जायज हो सकती है लेकिन एक डीसी के तौर पर उनके इस ट्वीट से सत्ता राजनीति की बू आती है।